राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः– 20/2021

अंतर्गत

अपील संख्या :–2503/2016

अमृतपाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह नैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस रिव्यू याचिका में अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2503/2016 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2021 को रिव्यू किया जाकर उक्त निर्णय को अपास्त किया जाए एवं अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 06.09.2015 से ग्रेड–पे 5400 में दिलाया जाए।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निर्णय में गलत रूप से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 20 वर्ष पूर्ण होने पर देय माना गया है, जबकि द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 18 वर्ष पूर्ण होने पर देय होता है। अपील में सही प्रकार से नियमों की विवेचना नहीं की गयी है। ऐसे में गलत निर्णय पारित किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. रिव्यू करने के संबंध में जो प्रावधान धारा 6(5) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 है, वो निम्न प्रकार से हैः–

> 6(5) "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper. Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the

record: Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought: Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time.

उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि रिव्यू याचिका उस स्थिति में ही दायर की जा सकती है, जब कोई नया तथ्य अपीलार्थी के ध्यान में आया हो, जो पहले उसके ध्यान में नहीं था या फिर रिव्यू तब किया जा सकता है, जब आदेश में कोई (face of record) त्रुटि रही हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके ध्यान में पूर्व में नहीं हो। आदेश में (face of record) पर कोई त्रुटि भी प्रकट नहीं होती है। अतः अपने आदेश को रिव्यू किये जाने का कोई आधार हमारे समक्ष नहीं है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)